(7)

न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 16/2014
दायर दिनांकः 16.09.2014
निर्णय दिनांक 12.12.2017

—:अनवानः—

श्री लोगर पिता स्व. खीमा जी जाति डांगी आयु 42 वर्ष निवासी करोली (निम्बेला) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

अपीलांट

—:बनामः—

1. धन्नी उर्फ हानि बेवा खीमा जी जाति डांगी वर्तमान में श्रीमती मांगीबाई पत्नी मेघा जी डांगी निवासी मटाटा, कैलाशपुरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. तहसीलदार (भू अभिलेख) तहसील कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. पटवारी, पटवार हल्का, करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

रेस्पोण्डेंट्स

अपील विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 19.01.2013 नामान्तरण संख्या—971 के विरूद्ध

उपस्थितः—

1— श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री गजेन्द्र टांक,अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 1
3— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 2 व 3

अपीलांट ने तहसीलदार,नाथद्वारा के आदेश दिनांकः 19.01.2013 से पारित नामान्तरण संख्या 971 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह नामान्तरण अपील दिनांकः 15.09.2014 को दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह निवेदन किया गया कि अपीलांट के पिता का नाम श्री खीमा पिता अणदा जी डांगी निवासी करोली निम्बेला था जिनका स्वर्गवास आज से करीब 3 वर्ष पूर्व हो गया तथा अपीलांट की माता का नाम हानीबाई था जो अपीलांट के पिता के जीवनकाल में आज से करीब 40 वर्ष पूर्व अपीलांट के पिता को छोड़कर मेघा जी डांगी के साथ विवाह कर लिया तथा वह आज से करीब 40 वर्ष से मेघा जी की पत्नी बनकर रह रही हैं तथा उसने अपना नाम श्रीमती मांगीबाई पत्नी मेघा जी डांगी के नाम से जानी जाती हैं तथा अपीलांट के पिता का कोई संबंध विगत 40 वर्षो से नहीं रहा हैं। अपीलांट के पिता की मृत्यु आज से करीब 3 वर्ष पूर्व हुई तथा अपीलांट के नाम की कृषि भूमियां राजस्व ग्रम करोली में स्थित थी जिस पर अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से ही आधिपत्य चला आ रहा हैं तथाा खीमा जी का एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी अपीलांट अकेला ही हैं परन्तु मांगीबाई ने अपने आपको खीमा जी की पत्नी बताकर विरासत से खीमा जी की कृषि भूमियां अपने नाम पर गलत तथ्य बताकर नामान्तरण दर्ज करा लिया जबकि वह मृतक खीमा जी की पत्नी नहीं रही हैं। मांगीबाई पत्नी मेघा जी डांगी ने गांव मटाटा कैलाशपुरी में अपना परिचय पत्र व राशनकार्ड भी बनवा रखा हैं तथा वह वर्तमान में आनि पत्नि खीमा जी नहीं होकर मांगी बाई पत्नि मेघा जी डांगी निवासी मटाटा है। तथा वह विगत 25—30 वर्षों में कभी भी गांव करोली में नहीं रही। फिर भी उसने मिली भगत कर नामान्तरण मृतक खीमा की कृषि भूमियों को अपने नाम पर दर्ज कराया है जिससे दुखी पीड़ित होकर यह अपील पेश की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नाथद्वारा ने नामान्तरण संख्सया 971 को तस्दीक करते समय इस बात की कोई जांच नहीं की गई कि जिस दिन नामान्तरण तस्दीक किया गया उस समय वह मृतक खीमा पिता अणदा की पत्नी नहीं रही अर्थात मृतक खीमा जी की वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई जांच पड़ताल

किये बिना मृतक खीमा जी की वैधानिक उत्तराधिकारी मानते हुए नामान्तरण तसछीक कर दिया जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण को तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को भी कोई सूचना नहीं दी तथा न ही अपीलांट को भी अपना पक्ष रखनें का कोई अवसर दिया तथा बिना अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोण्डेंट संख्या 1 गांव में कहां पर निवास कर रही हैं तथा किसकेय साथ निवास कर रही हैं तथा गांव के पड़ौसियों से इस बारे में जांच कराई जाती तो इस प्रकार का अवैध आदेश पारित नहीं होता जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में गुपचुप तरीके से नामान्तरण आदेश पारित किया जिससे इस अवैध आदेश की कोई जानकारी तक किसी को नहीं होने दी इसलिये प्रार्थी इस प्रकार के अवैध से अपीलांट न्याय से वंचित रह गया तथा मृतक खीमा की कृषि भूमियों पर किसी भी भाग पर तथा किसी भी सम्पति पर रेस्पोण्डें संख्या 1 का आधिपत्य नहीं था फिर भी रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने गलत तथ्य बताये तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसके द्वारा बताये गलत तथ्यों के संबंध में जांच नहीं की जबकि ग्राम पंचायत करोली की मतदाता सूची में भी रेस्पोण्डेंट संख्या 1 का विगत 25–30 वर्षो में कोई नाम दर्ज नहीं रहा तथा उसने अपने आपको मृतक खीमा की वैधानिक उत्तराधिकारी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोण्डेंट संख्या 1 को लाभान्वित करने के उद्धेश्य से उसके पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिससे अपीलार्थी अपने अधिकारों से एवं न्याय से वंचित रह गया। अपीलांट में अपील के साथ विलम्ब के संबंध में दफा 5 मयाद प्रा0पत्र पेश किया हैं। अंत में अपीलांट निवेदन किया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकः 19.01.2013 को रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के नाम पर पारित आक्षेपित नामान्तरण को खारिज फरमाया जावें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन् सूचित किया गया। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता एवं रेस्पोण्डेंट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं।

अपीलांट के द्वारा अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता हैं।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 जो कि अपीलांट की माता थी जो अपीलांट के पिता के जीवनकाल में करीब 40 वर्ष पूर्व अपीलांट के पिता को छोड़कर श्री मेघाजी डांगी के साथ विवाह कर लिया और मांगीबाई पत्नी मेघाजी डांगी के नाम से गांव मटाटा कैलाशपुरी में रह रही हैं और इसी गांव में अपना परिचय पत्र व राशनकार्ड भी बनवा रखा है। इस प्रकार रेस्पोण्डेंट संख्या 1 अपीलांट के पिता स्व0 खीमा जी की पत्नी नहीं होते हुए भी उनकी कृषि भूमियों का उनकी मृत्यु उपरान्त अपने पत्नी बताकर आक्षेपित नामान्तरण अपने नाम पर गलत तरिके से अपने नाम पर तस्दीक करवा लिया गया जबकि वह स्व0 खीमा जी की पत्नी नहीं थी। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के विरुद्ध अपीलांट के द्वारा वर्ष 2015 में थाना देलवाड़ा में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई जिसकी पुलिस जांच में भी यह जाहिर हो चुका था कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 गांव मटाटा कैलाशपुरी में मांगीबाई के नाम से श्री मेघाजी डांगी की पत्नी बनकर रह रही हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 का परिचय पत्र व राशनकार्ड भी मटाटा कैलाशपुरी का हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 विगत 40 वर्षो से गांव मटाटा कैलाशपुरी में श्री मेघाजी डांगी की पत्नी बनकर रह रही है। ऐसी स्थिति में उसे मेघाजी डांगी की पत्नी ही माना जावेगा क्योंकि दोनो पति पत्नी के रुप में रह रहे हैं। इस कथन के समथन में ए0आई0आर0 सुप्रीम मोट 756 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इस प्रकार रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने अपीलांट के पिता की अपने को पत्नी बताकर गलत तरिके से

आक्षेपित नामान्तरण अपने नाम पर तस्दीक करवाया हैं इसकी पुष्टि होती हैं। प्रकरण में रेस्पोण्डेंट संख्या 1 को जारी सम्मन भी ग्राम मटाटा कैलाशपुरी के पते पर जारी होकर तामिल होकर प्राप्त हुआ हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 गांव करोली में नहीं रहती हैं तथा अपीलांट के परिवार की सदस्य भी नहीं हैं और न ही राशनकार्ड में नाम आदि हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने गलत तथ्य वर्णित कर अपीलांट को उसके हक हकूक से वंचित करने हेतु यह आक्षेपित नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय से तस्दीक करवाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के पिता के वारिसान की पूर्ण जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात वारिसान को जरिये नोटिस तलब करना चाहिए था ताकि वह भी अपना पक्ष रख सके। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई तल्बी का नोटिस जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का कोई मौका ही दिया गया जबकि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत (Natural Justice) के अनुसार व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकः 19.01.2013 को रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के नाम पर पारित आक्षेपित नामान्तरण को खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट की ओर से यह कथन किया गया रेस्पोण्डेंट संख्या 1 अपीलांट के स्वर्गीय पिता श्री खीमा जी की पत्नी थी जो कि उनके जीवनकाल में 40 वर्ष पूर्व श्री मेघाजी डांगी के नाते चली गयी और गांव मटाटा कैलाशपुरी में उनकी पत्नी बनकर निवास कर रही हैं तथा परिचय पत्र व राशनकार्ड भी वहीं के हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 को अपीलांट स्वयं यह मान रहे हैं कि वह अपीलांट के स्व0 पिता की पत्नी थी। अपीलांट यह नहीं बता पाये कि साथ साथ रहने पर ही तलाक किस प्रकार से माना जावेगा। कानून का यह सुस्पष्ट प्रतिपादित सिद्धांत हैं कि जब तक कूननन तलाक नहीं हो जाता तब तक हक अधिकार बराबर बने रहते हैं। अपीलांट यह नहीं बता पाये कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 का अपीलांट के पिता से कोई तलाक हुआ हो अर्थात रेस्पोण्डेंट संख्या 1 का अपीलांट के पिता की कृषि भूमियों में निहित हक अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता हैं और वह स्व0 खीमा जी की कृषि भूमियों में अपना वैधानिक उत्तराधिकारी होने से अपने नाम पर नामान्तरण करवाये जाने की बराबर अधिकारिता रखती हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित नामान्तरण विधि अनुरुप होकर सही हैं। अपीलांट की ओर से रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के विरुद्ध वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज कराना बताया किन्तु यह नहीं बताया कि वह मुकदमा किस बात का था। अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने अंत में यह बताया कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिक प्रकियानुसार खौला गया व पारित किया गया जो कि सही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण सही होने से अपील अपीलांट खारिज कराना फरमावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के द्वारा तहसीलदार,नाथद्वारा द्वारा आदेश दिनांकः 19.01.2013 को पारित किये गये नामान्तरण संख्या 971 को चुनोति इस आधार पर दी गयी कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 अपीलांट के पिता के जीवनकाल में ही 40 वर्ष पूर्व छोड़ कर चली गयी और श्री मेघाजी डांगी की पत्नी बनकर गांव मटाटा कैलाशपुरी में रह रही हैं और परिचय पत्र व राशन कार्ड भी इसी गांव के हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 को प्रकरण में जारी सम्मन् भी गांव मटाटा कैलाशपुरी के पते के जारी होकर तामिल हुए हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 गांव करोली में नहीं रहती हैं और यह मेघाजी की पत्नी हैं तथा अपीलांट के पिता की पत्नी बताकर रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने अपने नाम फर्जी तरिके से आक्षेपित नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय से तस्दीक करवाया हैं जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं। साथ ही अपीलांट की ओर से यह भी बताया कि नामान्तरण तस्दीक करने के पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर उन्हें जरिये नोटिस सूचित कर बाद सुनवाई नामान्तरण तस्दीक करनाा चाहिए किन्तु इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना हेतु को नोटिस जारी नहीं किया और सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के भी विपरित हैं। यदि विधिवत तरिके से नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाती तो अपीलांट सारी स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत कर पाता।

किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उपरान्त खौले जाने वाले विरासत के नामान्तरण में उसके वारिसान की पूर्ण जांच की जाकर उन्हें सूचित कर सुनकर निर्णित किया जाना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक न्याय सिद्धांत (Natural Justice) के अनुसार व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस मामले में इस प्रकार से आक्षेपित नामान्तरण को तस्दीक करने में प्रकिया को अपनाया हो पत्रावली से प्रकट नहीं होता हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम उक्त मामले में अपीलांट के स्वर्गीय पिता श्री खीमा जी के वारिसान की पूर्ण जांच की जाकर उन्हें विधिवत तरिके से सूचित कर बाद समुचित सुनवाई के नये सिरे से नामान्तरण का निस्तारण करवाया जाना उचित समझते हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा आदेश दिनांकः 19.01.2013 से तस्दीक किये गये नामान्तरण संख्या 971 को खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार,नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के स्वर्गीय पिता श्री खीमा जी के वारिसान की पूर्ण जांच की जाकर उन्हें विधिवत तरिके से सूचित कर बाद समुचित सुनवाई के प्रकरण का नये सिरे से नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद